

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

## व्यापार स्चना संख्या TRADE NOTICE NO.36 /2018-19

विषय:- सीमाशुल्क अधिनियम,1962, की धारा 48 के अंतर्गत सीमाशुल्क के पास रखे लावारिस/दोषयुक्त कार्गों के निस्तारण की प्रक्रिया- से संबन्धित। Sub:- Procedure for disposal of un-claimed/un-cleared cargo

sub: Procedure for disposal of un-claimed/un-cleared cargo under section 48 of the Customs Act, 1962, lying with the customs - reg.

उपरोक्त विषय पर सीमाशुल्क ब्रोकर, आयातक, निर्यातक तथा सभी हितधारियों का ध्यान, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के द्वारा दिनांक 3.12.2018 को जारी परिपत्र संख्या 49/2018-सीमा शुल्क की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of the customs Brokers, Importers, Exporters, and all other stakeholders are drawn to the Circular No. 49/2018-Customs dated 3.12.2018 issued by Central Board of Indirect taxes and Customs on the subject mentioned above.

2. लावारिस/दोषयुक्त कार्गों के निस्तारण में हुई असंगत देरी के मद्देनज़र सीमाशुल्क अधिनियम,1962, की धारा 48 के अंतर्गत सीमाशुल्क के पास रखे लावारिस/दोषयुक्त कार्गों के द्रुत निस्तारण के लिए विस्तृत संशोधित प्रक्रिया के संदर्भ में उक्त परिपत्र प्रस्तुत किया है।

Taking into account the undue delay in disposing of un-claimed/un-cleared cargo, the board has vide the said circular laid out detailed revised procedure for the expeditious disposal of un-claimed/un-cleared cargo under section 48 of the Customs Act, 1962.

3. बोर्ड परिपत्र संख्या 49/2018-सीमा शुल्क की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। Copy of the board circular no 49/2018 - Customs is enclosed here with for information.

-sd-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR) सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

//ATTESTED//

0/

G Anil Kumar

Appraiser (Import)

को जारी: Issued to: सभी सम्बद्ध, सूची के अनुसार All concerned, as per mailing list

F.No.C1/05/2017 TU Cus.

दिनांक Dated: 04.12.2018

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
- 2. आयुक्त की फ़ाइल/अपर आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त /गार्ड फ़ाइल तथा सूची के अनुसार। सभी सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देशों/परिवर्तनों को नोट करे तथा उसका अनुपालन करें।

Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

- 3. हिन्दी अधिकारी Hindi Officer
- 4. सीमाशुल्क,कोचीन ब्रोकर असोशिएशन, कोचीन The Cochin Customs Brokers Association, Cochin
- 5. स्चना पह Notice Board
- 6. व्यापार सूचना को अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को EDI section for uploading the Trade Notice
- 7. सीमाशुल्क स्टेशन के सभी सम्बद्ध संरक्षकों को All concerned custodians of Customs Station